[राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2020 को पारित रूप में]

2019 का विधेयक संख्यांक 1-सी

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग

3. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग का गठन ।
4. आयोग की संरचना ।
5. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।
7. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।
8. आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।
9. आयोग की बैठकें ।
10. आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 3

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद्

11. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना ।
12. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् के कृत्य ।
13. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

खंड

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

14. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ।

15. राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।

16. स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।

17. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

18. स्वायत्त बोर्डों का गठन ।

19. स्वायत्त बोर्डों की संरचना ।

20. प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

21. प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।

22. विशेषज्ञों की सलाहकार समितियां ।

23. स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारीवृंद

24. स्वायत्त बोर्डों की बैठकें आदि ।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

26. स्वायत्त बोर्डों की शक्तियां और कृत्य ।

27. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

28. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ।

29. नई चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति ।

30. स्कीम को अनुमोदित करने या अननुमोदित करने के लिए मानदंड ।

31. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् ।

32. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

33. राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के अधिकार और इस संबंध में उनकी बाध्यताएं ।

34. व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

अध्याय 6

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की अर्हताओं को मान्यता

35. भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं को मान्यता ।

36. भारत के बाहर चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।

37. अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना ।

खंड

38. अर्हताओं की मान्यता के लिए कतिपय मामलों में विशेष उपबंध ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

39. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

40. भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

41. संपरीक्षा और लेखा ।

42. विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

43. केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

44. केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

45. आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

46. विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताएं ।

47. चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम का पूरा किया जाना ।

48. आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक होना ।

49. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

50. अपराधों का संज्ञान ।

51. केंद्रीय सरकार की आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

52. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संयुक्त बैठकें ।

53. राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य को अभिवृद्धि करेगी ।

54. नियम बनाने की शक्ति ।

55. विनियम बनाने की शक्ति ।

56. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

58. निरसन और व्यावृत्ति ।

59. संक्रमणकालीन उपबंध ।

[राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2020 को पारित रूप में]

2019 का विधेयक संख्यांक 1-सी

[दि नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसन बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020

एक ऐसी आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रणाली का, जो क्वालिटी और सस्ती आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच में सुधार करती है, देश के सभी भागों में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा व्यावसायियों की उपलब्धता और सस्ती को सुनिश्चित करती है ; जो ऐसी साम्यापूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखरेख का समर्थन करती है ; जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करती है तथा ऐसे चिकित्सा व्यावसायियों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध बनाती है ; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करती है ; ऐसे चिकित्सा व्यावसायियों को, उनके कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान कार्य में सहयोग देने हेतु प्रोत्साहित करती है ; जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी रूप से मूल्यांकन करना है और जो भारत के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के चिकित्सक रजिस्टर को बनाए रखने को कर बनाती है तथा चिकित्सीय सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को प्रवर्तित करती है ; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं से सामंजस्य बैठाने के लिए नमनीय है और जिसमें एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र सम्मिलित है तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "स्वायत्त बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित कोई स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुर्वेद बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "अध्यक्ष" से धारा 5 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अभिप्रेत है ;

(छ) "परिषद्" से धारा 11 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(ज) "भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली" से आयुर्विज्ञान की अष्टांग आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा की ऐसी प्रणालियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसी आधुनिक प्रगतियों, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास से अनुपूरित हों अथवा नहीं, जिन्हें आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए ;

(झ) "अनुज्ञप्ति" से धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई किसी भी भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) "भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी चिकित्सीय मूल्यांकन और रेंटिग बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ट) "चिकित्सा संस्था" से भारत के भीतर या बाहर कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में डिग्री, डिप्लोमा या अनुज्ञप्तियां प्रदान करती है और इसके अंतर्गत सहबद्ध महाविद्यालय और सम विश्वविद्यालय भी हैं ;

(ठ) "सदस्य" से धारा 5 के अधीन नियुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(ड) "राष्ट्रीय रजिस्टर" से भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा धारा 31 के अधीन बनाए रखा गया भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय चिकित्सक रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ढ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(त) "प्रधान" से धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है ;

(थ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(द) "राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्" से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के व्यावसायियों के व्यवसाय और रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है ;

(ध) "राज्य रजिस्टर" से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के व्यावसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए बनाए रखा गया राज्य रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(न) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है और इसके अंतर्गत कोई स्वास्थ्य संबंधी विश्वविद्यालय भी है ।

1956 का 3

अध्याय 2

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग का गठन ।

3. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक आयोग का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का अनुपालन करेगा ।

(2) आयोग पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आयोग की संरचना ।

4. (1) आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--

(क) अध्यक्ष ;

(ख) पन्द्रह पदेन सदस्य ; और

(ग) तेइस अंशकालिक सदस्य ।

(2) अध्यक्ष एक उत्कृष्ट योग्यता वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास साबित प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी होगी तथा उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की किसी भी विधा में स्नातकोत्तर डिग्री होगी और उसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के किसी क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की उन्नति और विकास या उसकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी नेता के रूप में होगा ।

(3) निम्नलिखित व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) आयुर्वेद बोर्ड का प्रधान ;

(ख) यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड का प्रधान ;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी चिकित्सीय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का प्रधान ;

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का प्रधान ;

(ङ) भारत सरकार का सलाहकार (आयुर्वेद) या संयुक्त सचिव, जो आयुर्वेद का प्रभारी हो और आयुष मंत्रालय में भारत सरकार का सलाहकार (यूनानी) या संयुक्त सचिव, जो यूनानी का प्रभारी हो ;

(च) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली ;

(छ) महानिदेशक, आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली ।

(ज) महानिदेशक, यूनानी आयुर्विज्ञान में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली ।

(झ) महानिदेशक, सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद, चेन्नई ;

(ञ) निदेशक, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई ;

(ट) निदेशक, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान, बंगलूरू ;

(ठ) निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संबंधी संस्थान, शिलांग ;

(ड) निदेशक, आयुर्वेद में अध्यापन और अनुसंधान संबंधी स्नातकोत्तर संस्थान, जामनगर ; और

(ढ) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ।

(4) निम्नलिखित व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) योग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य, जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की किसी विधा, संस्कृत, उर्दू, तमिल प्रबंध, विधि, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान और व्यवसायिक अनुभव है ;

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् में राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य ;

(ग) छह सदस्य, आयुर्वेद से, सिद्ध, यूनानी और सेवा रिग्पा प्रत्येक से एक-एक सदस्य की नियुक्ति, धारा 11 के उपधारा (2) के खंड (गक) के अधीन, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशिती में से की जाएगी, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के लिए सलाहकारी परिषद का गठन दो वर्षों के लिए ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परंतु कोई भी सदस्य, या तो स्वयं या अपने किसी कुटुंब सदस्य के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के अधीन विनियमित किसी प्राइवेट या गैर-सरकारी चिकित्सा संस्था के प्रबंध निकाय से सहबद्ध नहीं होगा या कोई संबंध नहीं रखेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा और धारा 19 के प्रयोजन के लिए, "नेता" पद से किसी विभाग का अध्यक्ष या किसी संगठन का प्रधान अभिप्रेत है ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के प्रधानों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,--

(क) मंत्रिमंडल सचिव -- अध्यक्ष ;

(ख) दो विशेषज्ञ, जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए -- सदस्य ;

(घ) उत्कृष्ट अर्हताएं और संस्कृत, उर्दू और तमिल स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा -- सदस्य ;

(ङ) आयुष मंत्रालय का प्रभारी भारत सरकार का सचिव, जो संयोजक होगा -- सदस्य :

परंतु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्यों और धारा 20 में निर्दिष्ट बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी, जो खंड (ख) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और संयोजक-सदस्य के रूप में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिलकर बनेगी और उसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रभारी सचिव द्वारा की जाएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी रिक्ति, जिसके अंतर्गत, मृत्यु, त्यागपत्र या अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना भी है, होने की तारीख से एक माह के भीतर या अध्यक्ष अथवा सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्ववर्ती तीन मास के भीतर, उक्त रिक्ति को भरे जाने के लिए चयन समिति को प्रतिनिर्देश करेगी ।

(3) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) चयन समिति, किसी व्यक्ति की आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश करने से पूर्व, स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा ।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है या कोई सदस्य अनुपस्थित था ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) तक के उपबंधों के अधीन रहते हुए चयन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य (पदेन सदस्य और ऐसे सदस्यों से भिन्न) जिन्हें धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया है) चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तारण या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि उस समय तक होगी, जब तक वह ऐसा पद धारण करता है, जिसके कारण वह ऐसा सदस्य है ।

(3) जहां कोई सदस्य, पदेन सदस्य से भिन्न, आयोग की लगातार तीन साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है और उसकी ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में कोई विधिमान्य कारण नहीं है, तो ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) अध्यक्ष और सदस्य, पदेन सदस्य से भिन्न, को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य,--

(क) केंद्रीय सरकार को लिखित में, कम से कम तीन मास की सूचना देकर, अपने पद का त्याग कर सकेगा ; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से तीन मास की अवधि से पूर्व भी निर्मुक्त किया जा सकेगा या उसे तीन मास से परे भी तब तक पद पर बने रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करते समय और पद का त्याग करते समय भी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, दायित्वों के संबंध में घोषणा करेगा और साथ ही अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक नियोजनों या अंतर्वलन के संबंध में घोषणा करेगा और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य इस प्रकार अपने पद का त्याग करने के पश्चात्, इस प्रकार ऐसा पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की किसी प्राइवेट चिकित्सा संस्था में, जिसके किसी मामले के संबंध में उसने ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की थी, किसी भी हैसियत में, जिसके अंतर्गत परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी निकाय या संस्था में, जिसके अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की कोई चिकित्सा संस्था भी है, नियोजन स्वीकार करने से निवारित नहीं करेगी, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है या उसके द्वारा बनाई रखी गई है ।

(8) उपधारा (7) की कोई बात केंद्रीय सरकार को ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को इस बात की अनुमति देने से निवारित नहीं करेगी कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की किसी प्राइवेट चिकित्सा संस्था में, जिसके किसी मामले के संबंध में उसने ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की थी, किसी भी हैसियत में, जिसके अंतर्गत परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार कर सकेगा ।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।

7. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी,--

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जो विकृतचित्त का है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ङ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(च) जिसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है ।

(2) किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ड) और खंड (च) के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा, जिसका प्रधान एक सचिव होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।

(2) आयोग का सचिव साबित प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी रखने वाला एक व्यक्ति होगा और उसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) सचिव, केंद्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह किसी विस्तारण या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे आयोग द्वारा समनुदेशित किए जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों के प्रति ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(6) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार, उतनी संख्या में, ईमानदारी और उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए आवश्यक समझा जाए, और जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली का विशेष ज्ञान और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में चिकित्सीय शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, मरीज परामर्शी सेवाओं, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या विधि जैसे क्षेत्रों में अनुभव हो ।

आयोग की बैठकें ।

9. (1) आयोग, ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगा ।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष आयोग की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो ऐसा कोई सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान है और जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक कि आयोग की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, तब तक आयोग के सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, गणपूर्ति का गठन करेगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड के प्रधान के पास निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,--

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जो आयोग के किसी विनिश्चय से व्यथित है, सिवाय धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए निर्णय से, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

10. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की उच्च गुणवत्ता और उच्च मानक बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ख) चिकित्सा संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों के विनियमन के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ग) स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना के लिए मानव संसाधन भी हैं, तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना ;

(घ) आयोग, स्वायत्त बोर्डों और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और विनियम बनाकर नीतियां अधिकथित करना ;

(ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ;

(च) ऐसे उपाय करना, जो भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों और बनाए गए विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करें, जिससे वे अधिनियम के अधीन प्रभावी रूप से कार्यकरण कर सकें ;

(छ) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ;

(ज) चिकित्सा वृत्ति में वृत्तिक नैतिकता के अनुपालन को सुनिश्चित करना और चिकित्सा व्यावसायियों द्वारा देखभाल के उपबंध के दौरान नैतिक आचार का संवर्धन करना ;

(झ) प्राईवेट आयुर्विज्ञान संस्थान में पचास प्रतिशत स्थानों के संबंध में फीस और अन्य सभी प्रभारों के निर्धारण के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाएगा और जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमित विश्वविद्यालय समझा जाएगा ;

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चयों को सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और आयोग ऐसे प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन सचिव को कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

(3) आयोग, उपसमितियों का गठन कर सकेगा और उन्हें अपनी ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा किए जाने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 3

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद्

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना ।

11. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी ।

(2) परिषद्, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य, परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक सदस्य जो उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में अर्हता रखता हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, और एक सदस्य, जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में अर्हता रखता हो, उस संघ राज्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय का कुलपति हो, को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु जहां भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में अर्हता रखने वाला कुलपति उपलब्ध नहीं है, वहां पर डीन या जो संकायाध्यक्ष भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में अर्हताएं रखता हो, उसे नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(घ) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र और प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि सदस्य, राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(च) निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् ;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक का पद धारण कर रहे हैं ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् के कृत्य ।

12. (1) परिषद् एक ऐसा प्रमुख मंच होगी, जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अपने मतों और चिंताओं को आयोग के समक्ष रख सकेंगे और इस प्रकार चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित सकल कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को आकार प्रदान करने में सहायता कर सकेंगे ।

(2) परिषद् आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी, जो चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित सभी विषयों में, न्यूनतम मानकों को अवधारित करने और उन्हें बनाए रखने, तथा उन्हें बनाए रखने के संबंध में समन्वय करने से संबंधित होंगे ।

(3) परिषद् आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी, जो चिकित्सीय शिक्षा तक साम्यापूर्ण पहुंच का संवर्धन करें ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

13. (1) परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगी ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष परिषद् की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो ऐसा कोई अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा उपबंधित न की जाए, तब तक परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, गणपूर्ति का गठन करेगी और परिषद् की सभी कार्रवाइयों के संबंध में विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की सभी चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्येक विधा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी :

परंतु राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा से ऐसे छात्रों को छूट प्राप्त होगी, जिन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है,--

(i) बैचलर आफ यूनानी मेडिसन एंड सर्जरी के लिए प्री-तिब ; और

(ii) बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसन एंड सर्जरी के लिए प्री-आयुर्वेद ।

(2) आयोग, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे पदाभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी चिकित्सीय संस्थाओं में प्रवेश के लिए पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा सामान्य परामर्शी सेवाओं के संचालन की रीति को विनिर्दिष्ट करेगा :

परंतु यह सामान्य परामर्शी सेवा निम्नलिखित के पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी--

(i) अखिल भारतीय स्थानों के लिए, केंद्रीय सरकार के ; और

(ii) राज्य स्तर पर शेष स्थानों के लिए, राज्य सरकार के ।

(4) आयोग स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के अभ्यार्थियों के प्रवेश की रीति को विनियमन द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा, जो उपधारा (1) के अधीन छूट प्राप्त है ।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।

15. (1) राष्ट्रीय निकास परीक्षा के नाम से ज्ञात एक सामान्य अंतिम वर्ष स्नातक चिकित्सीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की संबद्ध विधा में चिकित्सीय व्यवसाय के रूप में व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी, और, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामांकन किया जाएगा ।

(2) आयोग, राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे पदाभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, ऐसी तारीख से प्रवर्तन में आएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(4) विदेशी चिकित्सा अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को, ऐसी रीति से जैसा कि विनियमन में विनिर्दिष्ट है, राज्य के रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सा व्यवसायी के रुप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय निकास परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा ।

स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की सभी चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्येक विधा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

(2) आयोग, स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे पदाभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा सामान्य परामर्शी सेवाओं के संचालन की रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

17. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की प्रत्येक विधा में ऐसे स्नातकोत्तर व्यक्तियों के लिए, जो उस विधा में अध्यापन वृत्ति ग्रहण करने की वांछा करते हैं, पृथक् रूप से एक राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

(2) आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे पदाभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, ऐसी तारीख से प्रवर्तन में आएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस धारा की कोई बात उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

स्वायत बोर्डों का गठन ।

18. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयोग के सकल पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :--

(क) आयुर्वेद बोर्ड ;

(ख) यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड ;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी चिकित्सीय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ; और

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड एक स्वायत्त बोर्ड होगा, जो आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

स्वायत बोर्डों की संरचना ।

19. (1) स्वायत्त बोर्डों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात् :--

(क) आयुर्वेद बोर्ड का एक प्रधान होगा और उसमें भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की आयुर्वेद विधा से चार सदस्य सम्मिलित होंगे ;

(ख) यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड का एक प्रधान होगा और उसमें भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा विधाओं से, प्रत्येक से दो सदस्य, सम्मिलित होंगे ;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी चिकित्सीय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड एक प्रधान और आठ सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु प्रधान और आठ में से छह सदस्यों को भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा विधा से ऐसी रीति में चुना जाएगा, जिससे कम से कम एक सदस्य पृथक् रूप से ऐसी एक विधा का प्रतिनिधित्व करे और शेष दो सदस्यों को प्रत्यायन विशेषज्ञ चुना जाएगा ;

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक प्रधान और आठ सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु प्रधान और आठ में से छह सदस्यों को भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा विधा से ऐसी रीति में चुना जाएगा, जिससे कम से कम एक सदस्य पृथक् रूप से ऐसी एक विधा का प्रतिनिधित्व करे और शेष

दो सदस्यों को क्वालिटी आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या मरीज परामर्शी सेवाओं की किसी भी विधा से चुना जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन चुने जाने वाले प्रधान और सदस्य उत्कृष्ट योग्यता, साबित प्रशासनिक क्षमता रखने वाले और ईमानदार व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध विधा में स्नातकोत्तर डिग्री होगी और उनके पास संबद्ध क्षेत्रों में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव नेता के रूप में होगा :

परंतु भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली से प्रधान और सदस्य की दशा में नेता के रूप में सात वर्ष का अनुभव स्वास्थ्य, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में शिक्षा की उन्नति और विकास के क्षेत्र में होगा ।

प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

20. केंद्रीय सरकार, धारा 5 के अधीन गठित चयन समिति के द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की गई सिफारिशों के आधार पर स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।

प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।

21. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का प्रधान और सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तारण या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

(2) स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) तथा उन्हें उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंध स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

विशेषज्ञों की सलाहकार समितियां ।

22. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के अतिरिक्त, विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी, जिनका गठन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किया जाए ।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी नैतिक समितियों द्वारा की जाएगी, जिनका गठन इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा किया जाए ।

स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारीवृंद

23. धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, उतनी संख्या में और ऐसी रीति में, जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

स्वायत्त बोर्डों की बैठकें आदि ।

24. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड एक मास में कम से कम एक बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा, जिसे वह नियत करे ।

(2) इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए स्वायत्त बोर्ड के सभी विनिश्चय आम सहमति से लिए जाएंगे और यदि आम सहमति संभव नहीं है तो विनिश्चय प्रधान और सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आयोग को ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

25. (1) आयोग, अपनी सभी या किन्हीं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के प्रधान को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिससे ऐसे बोर्ड के सुचारु और दक्ष कार्यकरण को समर्थ बनाया जा सके ।

(2) किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान ऐसी शक्तियों को आगे किसी सदस्य या उस बोर्ड के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की शक्तियां और कृत्य ।

26. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की आयुर्वेद विधा के संबंध में आयुर्वेद बोर्ड तथा यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा विधाओं के संबंध में यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड अपनी-अपनी विधाओं से संबंधित निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :--

(क) स्नातक, स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट स्तरों पर शिक्षा के मानकों का अवधारण करना और उससे संबंधित सभी पहलुओं का पर्यावलोकन करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या को ऐसी रीति में विकसित करना जिससे स्नातक, स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट छात्रों के बीच उपयुक्त कौशल, ज्ञान, मनोवृति, मूल्य और नैतिकता का विकास हो तथा उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य देखरेख करने, चिकित्सीय शिक्षा प्रदान करने तथा चिकित्सा अनुसंधान करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ;

(ग) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा की विधाओं में देश की आवश्यकताओं, वैश्विक मानकों तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए स्नातक, स्नातकोत्तर ओर अतिविशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु चिकित्सा संस्थाओं को स्थापित करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(घ) स्थानीय स्तरों पर सृजनात्मकता की आवश्यकताओं और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों का संचालन करने तथा चिकित्सा संस्थाओं में परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं और मानकों का अवधारण करना ;

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की चिकित्सा संस्थाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अवसंरचना, संकाय और गुणवत्ता के मानक और सन्नियम अवधारित करना ;

(च) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उनके ऐसे कृत्यों के संबध में, जो विभिन्न पणधारियों, जिनके अंतर्गत छात्र, संकाय, आयोग और सरकार भी हैं, को प्रभावित करते हैं, इलैक्ट्रोनिक रुप से या अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटनों के लिए सन्नियम विनिर्दिष्ट करना ;

(छ) संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना ;

(ज) अनुसंधान कार्यक्रमों को सुकर बनाना ;

(झ) सभी स्तरों पर चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(2) आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेंगें और आयोग से ऐसे निदेश प्राप्त कर सकेंगें, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के सभी अनुज्ञप्त व्यावसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वृत्तिक आचार का विनियमन करेगा और चिकित्सा के क्षेत्र में नैतिकता का संवर्धन करेगा :

परंतु भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ऐसे किसी मामले में, जहां राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को संबंद्ध राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यावसायियों द्वारा वृत्तिक या नैतिक कदाचार के मामलों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहां राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा वृत्तिक और नैतिक आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा ;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के साथ सतत् परस्पर क्रियाओं के द्वारा ऐसे तंत्रों का विकास करेगा, जो प्रभावी रुप से भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के चिकित्सा व्यावसायियों के आचार का विनियमन और संवर्धन करेंगे ।

(घ) राज्य चिकित्सा परिषद्, धारा 30 के अधीन की गई कार्रवाई के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और आयोग से ऐसे निदेश प्राप्त कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ।

28. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, यथास्थिति आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों के अनुपालन के आधार पर चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग के लिए प्रक्रिया का अवधारण करना ;

(ख) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार नई चिकित्सा संस्था की स्थापना के लिए या कोई परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करना या सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने के लिए उनका निरीक्षण करना :

परंतु भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझता है तो किसी तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा और उन्हें चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए उनका निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण किसी ऐसे तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हैं, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे ऐसे अभिकरण या व्यक्ति को संपूर्ण पहुंच प्रदान करें ;

(घ) सभी चिकित्सा संस्थाओं का, उनके खोले जाने के पश्चात् ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर ओर ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए, जहां कहीं वह आवश्यक समझा जाए, स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलबद्ध करना ;

(ङ) उसकी अपनी वैबसाइट पर या पब्लिक डोमेन में नियमित अंतरालों पर चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन ओर उनकी रेटिंग को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार उपलब्ध कराना ;

(च) ऐसे उपाय करना, जिनके अंतर्गत किसी ऐसी चिकित्सा संस्था के विरुद्ध, जो, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहती है, चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति अधिरोपित करना, प्रवेशों की संख्या में कमी करना या प्रवेशों को रोकना और आयोग को उसकी मान्यता को वापिस लेने की सिफारिश करना ।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और आयोग से ऐसे निदेश ले सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

नई चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति ।

29. (1) कोई व्यक्ति, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी नई चिकित्सा संस्था या कोई परास्नातक पाठ्यक्रम का प्रारंभ नहीं करेगा या सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" पद के अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय, कोई न्यास या अन्य निकाय भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के समक्ष ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाली कोई स्कीम, जिसके साथ ऐसी फीस लगी हो और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करते समय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को, अवसंरचना और संकाय संबंधी मानकों और संन्नियमों, चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना संबंधी दिशा निर्देशों और यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा धारा 26 के अधीन अवधारित अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा और ऐसी किसी स्कीम की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर उस स्कीम को अनुमोदित या नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगा :

परंतु ऐसी स्कीम को नासाबित करने से पूर्व, दोष यदि कोई हो" को सुधारने के लिए संबंधित व्यक्ति को एक अवसर दिया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन कर दिया जाता है, वहां ऐसा अनुमोदन, उपधारा (1) के अधीन किसी नई चिकित्सा संस्था को स्थापित करने की अनुमति माना जाएगा ।

(5) जहां किसी स्कीम को उपधारा (3) के अधीन नामंजूर किया जाता है, या जहां उपधारा (2) के अधीन स्कीम को प्रस्तुत किए जाने के तीन मास के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, वहां संबद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी नामंजूरी की तारीख या इस प्रकार तीन मास के अवसान के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगा ।

(6) जहां आयोग ने स्कीम को नामंजूर कर दिया है या उपधारा (5) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां संबद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी नामंजूरी की संसूचना की तारीख या पन्द्रह दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के सात दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को एक दूसरी अपील कर सकेगा ।

(7) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, किसी भी समय या तो सीधे चिकित्सा व्यवसाय में समग्रता और अनुभव रखने वाले किसी विशेषज्ञ के माध्यम से बिना किसी पूर्व सूचना के किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था का मूल्यांकन या निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था के कार्यपालन, मानकों और बैंचमार्कों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ।

स्कीम को अनुमोदित करने या अननुमोदित करने के लिए मानदंड ।

30. जब धारा 29 के अधीन स्कीम को अनुमोदित या अननुमोदित किया जा रहा हो, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड या आयोग जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित मानदंड को विचार में लिया जाएगा, अर्थात् :--

(क) पर्याप्त अवसंरचना और वित्तीय संसाधन ;

(ख) क्या आयुर्विज्ञान संस्थान के उचित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, अशैक्षणिक स्टाफ और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की गई हैं या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए ;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाओं को प्रदान किया गया है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए ;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जा सकते हैं :

परंतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए शैक्षणिक संस्थानों के मानदंड को शिथिल किया जा सकता है जो कि विनियमन के द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।

राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् ।

31. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर, यदि किसी राज्य में कोई भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् विद्यमान नहीं है, जो उस राज्य में ऐसी परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, वहां राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी :

परंतु उस समय तक जब तक कि राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् की स्थापना नहीं कर दी जाती है, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस राज्य में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के रजिस्ट्रीकृत व्यावसायियों के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार से संबंधित परिवादों और शिकायतों को प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली का नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् ऐसे किसी व्यवसायी को, उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई करने से पूर्व, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धनीय शास्ति अधिरोपित किया जाना भी है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली को कोई व्यवसायी, जो निम्निलिखित द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है,--

(क) उपधारा (2) के अधीन राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगी और उसके संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का कोई विनिश्चय, यदि कोई हो, तब तक ऐसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् पर आबद्धकर होगा, जब तक कि उपधारा (4) के अधीन कोई दूसरी अपील फाइल नहीं कर दी जाती है ;

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन आयोग को अपील कर सकेगा ।

(4) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के चिकित्सा व्यवसायी, जो आचार बोर्ड और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण से पीड़ित हैं, वे ऐसे निर्णय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकते हैं ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "राज्य" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान

परिषद्" पदों से क्रमशः "केन्द्रीय सरकार" और "भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत है ;

(ख) "वृत्तिक या नैतिक कदाचार" पद के अंतर्गत ऐसे कोई कारण या लोप भी है, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

32. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता और उसके द्वारा धारण की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या किसी अर्हता को जोड़े जाने या उसे हटाए जाने की रीति और हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाईट पर रखकर साधारण जनता को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में एक राज्य रजिस्टर बनाए रखेगी तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करेगी और उसकी एक प्रति, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को उपलब्ध कराएगी ।

(6) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ऐसी रीति में इलैक्ट्रोनिक रूप से सुमेलित रहे कि ऐसे किसी एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन स्वतः ही अन्य रजिस्टर में दर्शित हो ।

राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के अधिकार और इस संबंध में उनकी बाध्यताएं ।

33. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में कोई मान्यताप्राप्त अर्हता है और जो धारा 15 के अधीन आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय निकास परीक्षा को अर्हित करता है, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में व्यवसाय की अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी और उसके नाम तथा अर्हताओं को, सर्वप्रथम राज्य के रजिस्टर में और इसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने और राष्ट्रीय निकास परीक्षा आरंभ होने से पूर्व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन बनाए रखे गए भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उसे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा । 1970 का 48

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर किसी अन्य देश में स्थापित किसी चिकित्सा संस्था से भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में कोई अर्हता प्राप्त की है और जो उस देश में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ तथा धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय निकास परीक्षा के प्रचालन में आने के पश्चात् भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के

राष्ट्रीय रजिस्टर में उस समय नामांकित किया जाएगा, जब वह भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय निकास परीक्षा को अर्हित करेगा ।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके नाम को, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, कोई उपाधि, डिप्लोमा, विज्ञान अथवा चिकित्सा में प्रवीणता संबंधी ऐसी कोई अर्हता प्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 के अधीन एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में, ऐसी रीति में अपने नाम के सामने प्रविष्ट किए जाने का हकदार होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

34 (1) यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को,--

(क) एक अर्हित व्यवसायी के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में व्यवसाय करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक का पद या ऐसा कोई अन्य पद, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे, यथास्थिति, चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किया जाना है ;

(ग) ऐसे किसी चिकित्सा या फिटनेस प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर, जो विधि द्वारा किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है, हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने का हक नहीं होगा ;

1872 का 1

(घ) किसी मृत्युपरीक्षा में साक्ष्य देने या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली से संबंधित किसी विषय पर विधि के किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हक नहीं होगा :

परंतु यह और कि आयोग ऐसे व्यावसायियों की एक सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह भी कि ऐसे किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में, उस देश में चिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में व्यवसायी के रूप में नामांकित है, ऐसे समय के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भारत में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी,--

(क) राज्य रजिस्टर में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के अधिकार को, मात्र

इस आधार पर कि उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं है ;

(ख) ऐसे विशेषाधिकारों को, जिनके अंतर्गत किसी राज्य में, उस राज्य के राज्य रजिस्टर में नामांकित भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के व्यावसायियों को उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त चिकित्सा की किसी प्रणाली में व्यवसाय करने का अधिकार भी है ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी राज्य में कम से कम पांच वर्ष के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में व्यवसाय कर रहा है, उस राज्य में व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली का राज्य रजिस्टर बनाए नहीं रखा गया है ।

अध्याय 6

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की अर्हताओं को मान्यता

भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं को मान्यता ।

35. (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में स्नातक या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं को, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध किया जाएगा और, बनाए रखा जाएगा और ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।

(2) भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, जो भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में स्नातक या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर चिकित्सा अर्हताओं को प्रदान करता है, किंतु उसे, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वह ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में किसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के किसी आवेदन की, छह मास की अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समीक्षा करेगा ।

(4) जहां, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में अर्हता को मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करता है, वहां ऐसी अर्हता को उसके द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित किया जाएगा और उसमें उस तारीख को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिससे ऐसी मान्यता प्रभावी होगी, अन्यथा वह बोर्ड उस चिकित्सीय अर्हता को मानयता प्रदान न करने के अपने विनिश्चय की सूचना संबद्ध विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था को देगा ।

(5) व्यथित विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि

के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगा ।

(6) आयोग उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की दो मास की अवधि के भीतर समीक्षा करेगा और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकती है तो वह संबद्ध बोर्ड को, उस अर्हता को उस बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) जहां आयोग उपधारा (6) के अधीन मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने के असफल रहता है, वहां व्यथित विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा ।

(8) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताओं को, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में ऐसी रीति में सम्मिलित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

1970 का 48

भारत के बाहर चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।

36. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश की विधि द्वारा उस देश में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की अर्हताओं की मान्यता का कार्य सौंपा गया है, भारत में ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु आयोग को कोई आवेदन करता है, वहां आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

(2) जहां आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है, वहां ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी और उसे ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां आयोग किसी अर्हता को मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करने से पूर्व उस प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां आयोग उपधारा (2) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करता है, वहां संबद्ध प्राधिकरण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताएं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की चौथी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा बनाए रखी गई सूची में ऐसी रीति में सम्मिलित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

1970 का 48

अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना ।

37. (1) जहां आयोग को, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि,--

(क) किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा कराए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम या परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है ;

(ख) यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित चिकित्सा संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और चिकित्सा में गुणवत्ता मानकों और सन्नियमों का किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और ऐसा विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहा है,

वहां आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा :

परंतु आयोग किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को स्वविवेकानुसार वापस लेने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकार तथा संबद्ध विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापस लिया जाना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापस ले सकेगा और, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था के सामने की प्रविष्टियों में इस प्रभाव का संशोधन करे कि ऐसी अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले लिया गया है ।

(3) यदि आयोग की, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकरण से सत्यापन के पश्चात् यह राय है कि कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता की, जिसे उसके द्वारा बनाए रखी गई सूची में सम्मिलित किया गया है, मान्यता को समाप्त किया जाना है, वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा बनाए रखी गई सूची से हटा सकेगा ।

अर्हताओं की मान्यता के लिए कतिपय मामलों में विशेष उपबंध ।

38. जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में कोई अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी :

परंतु ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को उस देश में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा

व्यावसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय ऐसी अवधि के लिए सीमित होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यह भी कि ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करता है ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

39. केंद्रीय सरकार, विधि द्वारा संसद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार समुचित समझे ।

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

40. (1) "भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय आयोग निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,--

(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्ति और प्रभार ;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी रकमें, जैसा उसके द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा,--

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के प्रधानों और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों या उपगत होने वाले व्ययों, जिसके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं ।

संपरीक्षा और लेखा ।

41. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उस संपरीक्षा के संबंध मे वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारण रूप से हैं और विशेष रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखा, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् वह सरकार उसे यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

42. (1) आयोग, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केंद्रीय सरकार निदेश करे, ऐसी रिपोर्टों और विवरणों और ऐसी विशिष्टियों को, जो आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित है, प्रस्तुत करेगा, जिनकी केंद्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

43. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत्त बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे, जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर दे :

परंतु आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, यथाशक्य रूप से, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने मत अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस संबंध में कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

44. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार उन निदेशों का अनुपालन करेगी ।

आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने

45. (1) आयोग, ऐसी रिपोर्टें, उसके कार्यवृत्त की प्रतियां, उसके लेखो से उद्धरण और अन्य जानकारी केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके संबंध में वह सरकार अपेक्षा करे ।

वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखो से उद्धरण और अन्य जानकारी को प्रकाशित कर सकेगी ।

विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताएं ।

46. इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय और चिकित्सा संस्था सभी समयों पर एक वेबसाइट बनाए रखेगी और ऐसी बेवसाइट में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करेगी, जो, यथास्थिति, आयोग और किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम का पूरा किया जाना ।

47. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व किसी चिकित्सा संस्था में किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहा था, इस प्रकार अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा और ऐसी संस्था, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन रूपरेखा के अनुसार ऐसे छात्र के लिए अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन करेगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ऐसे छात्र के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी चिकित्सा संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे ऐसे समय के व्यतिक्रम के कारण हुआ हो या मान्यता को स्वैच्छिक रूप से अभ्यर्पित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश हुआ हो, वहां ऐसी चिकित्सा संस्था उस समय तक, जब तक कि सभी अभ्यर्थी उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करने में समर्थ न हो जाएं, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उनका उपबंध करेगी ।

आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक होना ।

48. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्य, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या तात्पर्यित रूप से कार्य कर रहे हों तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

49. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार, आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् या उसकी किसी समिति या सरकार या आयोग के इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाई जाएगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

50. कोई न्यायालय, यथास्थिति, आयोग या भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी आचार-शास्त्र और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

केंद्रीय सरकार की आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

51. (1) यदि केंद्रीय सरकार की किसी भी समय यह राय है कि,--

(क) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है ; या

(ख) आयोग ने निरंतर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे जारी निदेशों के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निष्पादन में व्यतिक्रम किया है,

तो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयोग को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए अधिक्रांत कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार, आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अधिक्रांत क्यों नहीं किया जाना चाहिए और आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,--

(क) सभी सदस्य अधिक्रांत किए जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) आयोग द्वारा या उसके निमित्त इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्रयोकतव्य सभी शक्तियों या निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों का, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुन:गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश करे, प्रयोग और निष्पादन किया जाएगा ;

(ग) आयोग के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुन:गठन किए जाने तक केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रांत की अवधि के अवसान पर,--

(क) अधिक्रांत की अवधि को, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे ; या

(ख) नई नियुक्तियों द्वारा आयोग का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं माने जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिक्रांत की अवधि, चाहे वह अवधि मूल रूप से उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के अवसान से पूर्व, किसी भी समय इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट को शीघ्रतम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संयुक्त बैठकें ।

52. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली और आयुर्विज्ञान की आधुनिक प्रणाली के बीच परस्पर क्रिया का संवर्धन करने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जिसे परस्पर सहमति से नियत किया जाए, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठक की जाएगी ।

(2) संबद्ध आयोगों के अध्यक्षों के बीच परस्पर सहमति से संयुक्त बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के पुष्टिकारक मत द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक और शिक्षा मोड्यूल कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी शिक्षा प्रणालियों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्तर पर आरंभ किया जा सकता है और इस प्रकार चिकित्सा बहुलवाद का संवर्धन किया जाएगा ।

राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य को अभिवृद्धि करेगी ।

53. प्रत्येक राज्य सरकार, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और समस्याओं का समाधान करने के लिए, स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों की सक्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

54. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर आयोग के छह सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) सदस्यों की नियुक्ति का तरीका धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में दिया गया है ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किए जाने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और निष्पादित किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 29क के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक ;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यावसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति ;

(ठ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं और किसी ऐसे विषय से संबंधित विशिष्टियां, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए ;

(ढ) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(ण) धारा 57 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन नियोजन को समयपूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर ;

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित किया जा सकेगा और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की शिक्षा में बनाए रखे जाने वाली गुणवत्ता और मानक ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति ;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के कार्यकरण की रीति ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है ;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें पदाभिहित प्राधिकरण राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षा कराए जाने की रीति ;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामान्य परामर्श आयोजित कराए जाने की रीति ;

(ञ) पूर्व स्नातक अभ्यर्थियों के प्रवेश का तारीका धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन होगा ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें पदाभिहित प्राधिकरण राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षा कराए जाने की रीति ;

(ठ) ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी चिकित्सा अर्हता धारित करते हैं, उन्हें धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय निकास परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें पदाभिहित प्राधिकरण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की रीति ;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन पदाभिहित प्राधिकरण द्वारा सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य परामर्श आयोजित कराए जाने की रीति ;

(ण) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की रीति और वह पदाभिहित प्राधिकरण, जिसके माध्यम से ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ;

(त) धारा 23 के अधीन आयोग द्वारा स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराए जाने वाले विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(थ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चय किए जाएंगे ;

(द) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या ;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा में स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने की रीति ;

(न) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ;

(प) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली की चिकित्सा संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता संबंधी मानक और सन्नियम ;

(फ) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने की रीति और चिकित्सा संबंधी नैतिकता का संवर्धन ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग करने की रीति ;

(भ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए निरीक्षण करने की रीति ;

(म) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी चिकित्सा संस्थाओं का मूल्यांकन और रेटिंग करने की रीति और उसके लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलबद्ध करने की रीति ;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन चिकित्सा संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग को वेबसाइट या पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(यक) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी चिकित्सा संस्था द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ;

(यख) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ लगाई जाने वाली फीस और स्कीम को प्रस्तुत करने की रीति ;

(यग) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ;

(यघ) धारा 29क के परंतुक के अधीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनके संबंध में मानदंड शिथिल हो सकते हैं ;

(यङ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विरुद्ध वृत्तिक या नैतिक कदाचार के लिए राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति ;

(यच) धारा 30 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन ऐसे कारण या लोप संबंधी कार्य, जो वृत्तिक या नैतिक कदाचार के समतुल्य है ;

(यछ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यज) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखने के लिए प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक प्ररूप भी है और उसे बनाए रखने की रीति ;

(यझ) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें किसी नाम या अर्हता को राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा जा सकेगा या हटाया जा सकेगा और उन्हें हटाए जाने के लिए आधार ;

(यञ) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता की प्रविष्टी करने की रीति ;

(यट) धारा 33 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए किसी विदेशी नागरिक को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(यठ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने की रीति ;

(यड) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने के आवेदन की समीक्षा करने की रीति ;

(यढ) धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग को अपील करने की रीति ;

(यण) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई सूची में कोई चिकित्सा अर्हता सम्मिलित करने की रीति ;

(यत) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन वह रीति, जिसमें आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करेंगे और बनाए रखेंगे, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ;

(यथ) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें आयोग उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

56. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो

इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

58. (1) उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 इसके द्वारा निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् विघटित हो जाएगी । 1970 का 48

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,--

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को इस प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत बनाए रखा जा सकेगा या ऐसी शास्ति को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो वह अधिनियम निरसित ही न हुआ हो ।

(3) भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति और परिषद् का कोई अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो ऐसे विघटन से तुरंत पूर्व ऐसा कोई पद धारण कर रहे थे, अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनकी पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् के विघटन से तुरंत पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था, ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् के विघटन से तुरंत पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् में नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर नियोजित किया गया था, ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी नहीं रह जाएगा और वह अपने नियोजन की पदावधि या

सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए ऐसे प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होगा, जो तीन मास के वेतन और भत्तों से कम नहीं होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) पूर्वोक्त अधिनियमिती के निरसन के होते हुए भी, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय
1970 का 48 परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन जारी कोई आदेश, जारी की गई कोई व्यवसाय अनुज्ञप्ति,
5 किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई चिकित्सा संस्था को आरंभ करने या नए उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने की कोई अनुमति, किसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में बनी हुई है, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, प्रवर्तन में इस प्रकार बनी रहेंगी मानों उन्हें इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों
10 के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया था ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

59. (1) आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् का, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्व वाले न्यास भी हैं, हक में उत्तरवर्ती होगा और भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् की सभी आस्तियों और दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आयोग को अंतरित हो गए हैं ।

1970 का 48 15 (2) भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के निरसन के होते हुए भी, भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन चिकित्सा मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में बने रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

20 परंतु निरसनाधीन अधिनियमिती और तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए चिकित्सा मानकों और अपेक्षाओं के संबंध में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई को इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा और वे तदनुसार तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत न कर दिया जाए ।

25 (3) केंद्रीय सरकार ऐसे समुचित उपाय करेगी, जो विघटित भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् के, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए तत्समान नए आयोग को सुचारू हस्तांतरण के लिए आवश्यक हों ।

MGIPMRND—6160RS(CRC)—19-3-2020.